भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1243

10 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य पदार्थों में मिलावट से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव

1243 श्री नीरज शेखर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में खाद्य पदार्थों में हो रही व्यापक स्तरीय मिलावट की समस्या से अवगत है, जिससे जन-स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है;
(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक सूचित/दर्ज किए गए खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का और इस संबंध में बनाए जाने वाले कानूनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, प्रदायगी, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में निर्धारित मानकों और आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच और सत्यापन के लिए निगरानी, निरीक्षण, पर्यवेक्षण और यादृच्छिक नमूनाकरण करता है। एफएसएसएआई विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने और समग्र समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।

अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित मानकों, सीमाओं और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, एफएसएसएआई अपने 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के माध्यम से नियमित रूप से स्थानीय/लक्षित विशेष प्रवर्तन और निगरानी अभियान चलाता है।

जांच के जरिए खाद्य पदार्थों और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य नमूनों के प्राथमिक विश्लेषण हेतु 246 राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं केलिबरेशन प्रयोगशालाओं और अपीलीय नमूनों के विश्लेषण हेतु 24 रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है। दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण अवसंरचना की कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं की इन सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (एफएसडब्ल्यू) कार्यरत हैं। वर्तमान में, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 305 एफएसडब्ल्यू तैनात हैं। ये मोबाइल प्रयोगशालाएं खाद्य उत्पादों में पाए जाने वाले सामान्य मिलावटों की बुनियादी जांच करने में सक्षम हैं। ये बहुउद्देशीय वाहन न केवल मोबाइल परीक्षण इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा जागरूकता फैलाने और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में (अब तक) खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों (खाद्य मिलावट सहित) पर की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

अनुलग्नक-I

विभिन्न खाद्य सुरक्षा मुद्दों (खाद्य मिलावट सहित) पर की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त 2024-25	
		नमूनों की संख्या विश्लेषण किए गए	नमूनों की संख्या जो मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	नमूनों की संख्या जो मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई
1	अंडमान नोकोबार द्वीप समूह	0	0	810	4
2	आंध्र प्रदेश	6439	472	5984	514
3	अरुणाचल प्रदेश	501	11	125	9
4	असम	1139	125	1705	234
5	बिहार	2806	126	2863	124
6	चंडीगढ़	311	49	374	65
7	छत्तीसगढ़	1373	167	2069	270
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एंव दीव	185	0	56	0
9	दिल्ली	3412	150	2624	130
10	गोवा	599	16	1172	74
11	गुजरात	15841	910	12387	901
12	हरियाणा	3485	856	2233	500
13	हिमाचल प्रदेश	1618	401	1587	293
14	जम्मू एवं कश्मीर	9057	750	6955	651
15	झारखंड	384	292	364	138
16	कर्नाटक	5492	286	9371	662
17	केरल	10792	1304	10767	1635
18	लद्दाख	638	11	417	45
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	13998	2022	13920	1635
21	महाराष्ट्र	5087	1174	5403	1250
22	मणिपुर	168	3	126	1
23	मेघालय	123	7	388	5
24	मिजोरम	0	0	0	2
25	नागालैंड	138	3	223	11
26	उड़ीसा	2003	252	2282	273
27	पुदुचेरी	31	0	173	0
28	पंजाब	6041	929	4131	748
29	राजस्थान	18536	3493	13840	3788
30	सिक्किम	231	0	254	0
31	तमिलनाडु	18146	2237	18071	2240
32	तेलंगाना	6156	973	3347	324
33	त्रिपुरा	87	0	123	5
34	उत्तर प्रदेश	27750	16183	30380	16500
35	उत्तराखंड	1998	192	1509	140
36	पश्चिम बंगाल	5948	414	14502	1217
	कुल	**1,70,513**	**33808**	**1,70,535**	**34,388**

अनुलग्नक -II

वित्त वर्ष 2025-26 में (वर्तमान तक) खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों (खाद्य मिलावट सहित) पर की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण

वर्ष	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या
2025-26	1,55,306	27,567*

***वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े अनंतिम हैं।**
